



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

पंजीकृत पावती
उल्लंघन पत्र

माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhupura, Industrial Area
अजमेर-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

संख्या : राज/भील-56/सीसाजस्ता-01/2145-42

दिनांक : 13.10.2017

प्रेषित : खान एजेण्ट

रामपुरा-अगुचा लेड-जिंक खदान

मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि.

पोस्ट-अगुचा, तहसील-हुरडा

जिला-भीलवाड़ा-311029(राजस्थान)

विषय : राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले में स्थित आपकी रामपुरा-अगुचा लेड-जिंक खदान क्षेत्रफल 1200.00 हैक्टेयर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 05.09.2017 को किये गये उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है :-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
48	The holder of mining lease shall keep a record in Form-J of all shafts or boreholes and shall retain such records. During inspection no such records were made available for verification.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गत आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

जा.स. मि.स.
13.10.17

01c

30/9/17
13/10/17

(डॉ.ए.जेड.खान)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर
3. रक्षित पत्रावली

30/9/17
13/10/17

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो